आज्ञा-पत्र

19 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान हाजिर। तहसीलदार [illegible] के पत्रांक [illegible]/2019/120 दि. 19/6/19 के द्वारा रिपोर्ट भिजवाई गई है जो शामिल मिसल की गई। मिसल वास्ते बहस दि. [illegible] को पेश हो।
[signature]

3/7/19 पत्रावली पेश। पक्षकारान हाजिर। बहस सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश दि. 22/7/19 को पेश हो।
[signature]
उपखण्ड अधिकारी धोद जि. सीकर

22/7/19 मिसल वास्ते आदेश पेश हुई। [illegible] आदेश पृथक से पारित [illegible] किया गया। [illegible] मिसल [illegible] होकर शामिल [illegible] हो।
[signature]
उपखण्ड अधिकारी धोद जि. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

बइजलास राजपाल यादव आरएएस

प्रकरण सं0123 / 14 / 251–ए आरटीए

1. श्रीमती भंवरी बेवा पेमराज जाति ब्राह्मण नि. सिहोट बड़ी तहसील धोद जिला सीकर

–प्रार्थीया

बनाम

1. बजरंग लाल
2. रामलाल
3. भगवानाराम

समस्त पुत्रगण सुरजमल जाति जागिड़ निवासी सिहोट बड़ी तहसील धोद जिला सीकर

–अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल बिजारनिया वकील प्रार्थी की ओर से
2. श्री बनवारीलाल बरवड़ वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से
3. श्री दिनेश मंडीवाल वकील अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से

निर्णय दिनांक– 22.07.2019

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया के कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 498 रकबा 1.28 है0 वाके ग्राम सिहोट बड़ी तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें आवागमन का रास्ता नहीं है जिसमें आने जाने हेतु प्रार्थीया सदैव से खसरा नं0 496 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे आती जाती रही है अर्थात् पूर्वजों के समय से ही खसरा नं0 496 की दक्षिणी सींव के सहारे सहारे ही ऊंट गाड़ी, लद्ढा, बैल, ट्रेक्टर आदि आते जाते रहे है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की भूमि सींवा जोड़ है। प्रार्थीया की भूमि के पश्चिमी ओर अप्रार्थीगण की भूमि है उक्त अप्रार्थीगण की भूमि के पश्चिमी ओर सिहोर्ट बड़ी से लाडवा रास्ता अवस्थित है। अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नं0 496 रास्ते से लगती हुई है। प्रार्थी अपनी भूमि खसरा नं0 498 में कटाणी रास्ते सिहोट बड़ी से लाडव जाने वाले रास्ते से आते है तथा फिर अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नं0 496 की दक्षिणी

उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

Web Copy Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned with CamScanner

सींव के सहारे सहारे उस पर सदैव से आते जाते है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में दर्ज नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण ने जबरदस्ती बंद कर रखा है। प्रार्थीया की भूमि खसरा नं0 498 में आने जाने का रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नं0 496 में से ही होकर जाता है उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर नहीं है तथा ना ही अन्य कोई निकटतम रास्ता है। प्रार्थीया के खेत खसरा नं0 498 में आवागमन का सबसे निकटतम रास्ता भूमि खसरा नं0 496 के पास वाला रास्ता ही है। इसलिए कानूनन प्रार्थीया खसरा नंबर 496 की दक्षिणी सींव के सहारे 15 फीट चौड़ाई का रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाने की पूर्ण अधिकारिणी है। प्रार्थीया का उक्त खेत खसरा नंबर 498 बंद रास्ते की वजह से बिना बुवाई जुताई के पड़ा है। उक्त रास्ते की भूमि का मुआवजा शुल्य नियमानुसार प्रार्थीया देने को तैयार है। अतः आवेदन पत्र अन्तर्गत 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि खसरा नं. 498 तक रास्ता भूमि खसरा नं. 496 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे 15 फीट चौड़ाई का कायम किया जावें तथा रास्ता राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में अंकित किये जाने के आदेश दिये जावें।

2. आवेदन पेश होने पर आवेदन दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार, धोद को मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहरीर जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से वकील बनवारीलाल बरवड़ व अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से वकील श्री दिनेश मंडीवाल ने वकालतनामा पेश किये जो शामिल मिसल किये गये। अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से पैरावाईज जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया ने अनावेदक के खेत खसरा नं0 496 में से किभी भी कोई आवागमन नहीं किया है तथा ना ही उतरदाता के खेत में से कोई रास्ता मौके पर विधमान है। उतरदाता के खेत में से प्रार्थीया द्वारा सदैव से आवागमन करने ऊंट लढे, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने का कथन मिथ्या एवं काल्पनिक है। प्रार्थीया भूमि खसरा नं0 500, 501 में विधमान रास्ते से, जो प्रार्थीया के खेत के पूर्व साईड से लगता है, आवागमन करती रही है तथा एकदम नजदीक का रास्ता है। सीमाएं केवल एक कोने से ही मिलती है। प्रार्थीया द्वारा उतरदाता पर रास्ता बंद करने के झूंठे आरोप लगाकर गलत दिशा में रास्ते की मांग की जा रही है कल्पना व कयास के आधार पर वास्तविक खातेदारों को छोड़कर मौके पर विधमान रास्ते को छिपाकर प्रार्थीया द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीया ने खसरा नंबर 500, 501 के खातेदारों को पक्षकार ही नहीं बनाया है। पक्षकारों के अभाव में भी प्रार्थीया का आवेदन चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। उतरदाता से प्रार्थीया की कोई बातचीत तक नहीं हुई। हैरान व परेशान करना व जबरन रास्ता बंद करने के झूंठे व कल्पना के आधार पर आरोप लगाकर तथा मौके पर विधमान रास्ते को छोड़कर गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया हुआ होने के

उपखण्ड अधिकारी धोद सु. सीकर

Scanned with CamScanner

कारण आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। उत्तरदाता की भूमि में से जब प्रार्थीया का आवागमन का कोई रास्ता किसी भी रूप में नहीं रहा है तो उसे बंद करने का कथन केवल मात्र कल्पना के आधार पर अंकित किया है। उत्तरदाता की भूमि में से कोई रास्ता मौजूद ही नहीं है तो मुआवजा शुल्क देने का कथन मिथ्या एवं काल्पनिक है। अतः आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का आवेदन गलत व निराधार तथ्यों के आधार पर व मौके पर विद्यमान रास्ते खसरा नंबर 500, 501 के खातेदारों को छोड़कर आवेदन उत्तरदाता के खिलाफ गलत रूप से प्रस्तुत किया हुआ होने के कारण आवेदन 10,000 रूपये हर्जे खर्चे सहित खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।

3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि आवेदन ही बहस है तथा तहसीलदार की रिपोर्ट स्वीकार है उसके अनुसार रास्ता दिया जावें। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त प्रकरण 251–ए की परिधि में नहीं आता है। हमारे खेत से रास्ता नहीं जाता है। प्रार्थी ख.नं. 500 व 501 से होकर जानें वाले रास्ते से आती है जो प्रार्थीया के खेत से महतज 30–35 मीट दूर ही है। प्रार्थीया ने उक्त निकटतम रास्ता नहीं मांगकर लम्बा रास्ता मांगा है। अतः प्रार्थीया का आवेदन खारिज फरमाया जावें।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार, धोद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, धोद के पत्रांक राजस्व/17/48 दिनांक 31.01.17 के संलग्न मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का, सिहोट बड़ी व भूअनि सिहोट बड़ी के द्वारा बिन्दुवार तैयार की गई है जिस पर बाद अवलोकन तहसीलदार, धोद के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाकर इस न्यायालय में भिजवायी गई है। जिसमें वर्णित किया गया है कि ग्राम सिहोट बड़ी में आवेदिका भंवरी देवी की खातेदारी में दर्ज ख.नं. 498 में आवागमन हेतु इसी ग्राम सिहोट बड़ी में अवस्थित एवं ख.नं. 498 के संस्पर्शी ख.नं. 496 में से नवीन रास्ता हेतु मांग की गई है। ख.नं. 496 की खातेदारी बजरंगलाल, रामलाल, भगवानाराम पुत्रगण सुरजमल हि..ब. जाति जांगिड़ ब्राह्मण के नाम दर्ज अभिलेख है। आवेदिका भंवरीदेवी की खातेदारी में दर्ज ख.नं. 498 में आवागमन हेतु वर्तमान में मौके पर कोई प्रचलित अथवा रिकार्डे रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। ख.नं. 496 में नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे 15 फीट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो 138 मी. लम्बाई एवं 4 मीटर चौड़ाई के गुणक में 552 व.मी. भूमि प्रस्तावित रास्ता के काम आनी है। प्रस्तावित रास्ता को यदि स्वीकृत किया जाता है तो प्रार्थीया के खेत में आवागमन का सबसे निकटतम रास्ता होगा।

5. उक्त रिपोर्ट पर अप्रार्थी वकील ने आपत्ति पेश की जिसे स्वीकार किया जाकर ख.नं. 500 व 500 से अंकित रास्ते के बारे में पुनः तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार ने पत्रांक राजस्व/17/48 दिनांक 31.01.17 से रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया है कि

उपखण्ड अधिकारी धोद पु. सीकर

Scanned with CamScanner

ख.नं. 500 व 501 में डोटेड रास्ता वर्तमान में चालू है तथा उक्त उक्त रास्ता श्योता का बास से आता है। प्रार्थीया का खेत उक्त रास्ते से महज 35–40 मीटर दूर स्थित है।

तहसीलदार की उक्त दोनों रिर्पोटों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थीया द्वारा जो रास्ता मांगा गया है उसकी चालू रास्ते से लम्बाई 138 मीटर है, जबकि ख.नं. 500 व 501 से होकर जाने वाले चालू रास्ते से प्रार्थीया के खेत की दूरी 35–40 मीटर है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्वारा निकटतम रास्ते की मांग नहीं की जाकर नियम विरूद्ध लम्बे रास्ते की मांग की गई है। अतः प्रार्थीया का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 22.07.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

उपखण्ड अधिकारी धोद मु0 सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner